

**क्रमांक 3323067 / छ.ग. / 2016 /  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन,  
छत्तीसगढ़, रायपुर**

दिनांक /02/2018

—:आदेश:—

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्र. एफ 09-01/31/स्था./2016 दिनांक 20.12.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 23.12.2016 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा दिनांक 05.03.2017 को तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) अभियाना अमीन भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाकर, परीक्षा परिणाम में जारी विज्ञप्ति में दी गई कंडिकाओं के अनुरूप मेरिट सूची के आधार पर प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसिलिंग उपरांत विभागीय छानबीन समिति के अनुशंसा के आधार पर प्रतीक्षा सूची में शेष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) अभियाना अमीन के पद पर वेतनमान 5200-20200/- + ग्रेड वेतन 2200/- प्रतिमाह तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यग्रहण करने के दिनांक से निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर, उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये कार्यालयों में पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	माता/पिता/पति का नाम	वर्तमान पता	संवर्ग	जन्मतिथि	Overall Rank	Cat. Rank	कार्यालय जहां पदस्थ किया जाता है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	शुभम तिवारी	देवेन्द्र कुमार तिवारी	54/स.गंगा स्कूल के पीछे रिंग रोड क्र. 01, भाठागांव, पो. सुंदरनगर, रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.) पिन. नं. 492013	सामान्य	18/07/1994	61	0	कार्यपालन अभियंता,, महानदी आयाकट (कांडा) संभाग, रायपुर
2.	अश्विन गुप्ता	प्रताप गुप्ता	प्रकाश हाई स्कूल के पास, अंबिकापुर रोड, पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ.ग.) पिन. नं. 496118	सामान्य	08/01/1991	63	0	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुरनगर
3.	सत्यप्रकाश तिवारी	सत्यनारायण तिवारी	बेलदगी रोड, लखनपुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) पिन. नं. 497116	सामान्य	02/09/1992	64	0	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुंठपुर
4.	तरुण कुमार	एल.पी. साहू	एम.क्यू.-बी/18,बल्गी कॉलोनी, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन. नं. 495455	सामान्य	10/11/1988	70	0	कार्यपालन अभियंता, हसदेव बैराज जल प्रबंध संभाग, रामपुर/कोरबा
5.	अक्षय सिंह ठाकुर	अनूप कुमार सिंह ठाकुर	जी-2, सिंचाई कॉलोनी, चक्रधर नगर दक्षिण, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) पिन. नं. 496001	सामान्य	08/08/1991	71	0	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना, निर्माण संभाग, लाखा जिला-रायगढ़
6.	अतुल कुमार शर्मा	देवी प्रसाद शर्मा	ग्राम-जोगीडीपा, पो. सिरली, तह. पामगढ़ जिला-जाजगीर-चांपा (छ.ग.) पिन. नं. 495554	सामान्य	04/03/1994	77	0	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग, क्र.-2 चांपा
7.	नूतन प्रतीक एक्का	मनोहर साई एक्का	गोधनपुर, वार्ड-05, पो. -फुन्दुरडिहारी, अंबिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) पिन नं. 497001	अ.ज.जा.	03/07/1989	3226	70	कार्यपालन अभियंता, थर्मल पॉवर परियोजना, संभाग, अंबिकापुर
8.	गोपी राम	विसरू राम	328-बी 1 एन.ए. टाईप, पाण्डर दल्ली, दल्लीराजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.) पिन नं. 491228	अ.ज.जा.	15/11/1990	3240	71	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	माता/पिता/पति का नाम	वर्तमान पता	संवर्ग	जन्मतिथि	Overall Rank	Cat. Rank	कार्यालय जहां पदस्थ किया जाता है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	दानेश्वर	मनसुख लाल	ग्राम व पो.-गातापार कला, तह.-खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) पिन नं. 491444	अ.पि.व.	15/09/1989	84	55	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव
10.	पूर्णानन्द वर्मा	गिरधर लाल वर्मा	मं.नं.-200, स्पृहा, एस.टी. गर्ल्स हॉस्टल के पास, कल्याण सागर मार्ग, नया गंज वार्ड, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार (छ.ग.) पिन नं. 493118	अ.पि.व.	13/11/1990	85	56	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग, क्र.-03 तिल्दा
11.	धनीराम देवांगन	पुनरु देवांगन	द्वारा भीग देवांगन, हाई स्कूल के पीछे, आमनाका जिला-रायपुर (छ.ग.) पिन नं. 492010	अ.पि.व.	03/01/1991	86	57	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर
12.	अविनाश यादव	दिलीप कुमार यादव	वार्ड क्र.-14, कच्चे दफाई, कोण्डे रोड, दल्लीराजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.) पिन नं. 491228	अ.पि.व.	06/03/1993	89	58	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद
13.	नम्रता साहू	आर.के. साहू	प्रतीभा आईसक्रीम पार्लर के सामने, रामकिन्कर हॉस्पिटल, लिली चौक पुरानी बस्ती रायपुर (छ.ग.)	अ.पि.व.	12/01/1986	939	29	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग
14.	कविता साहू	दिनेश कुमार साहू	शिवानंद नगर, सेक्टर-03, नहरपारा (पवन किराना स्टोर) खमतसाई, जिला-रायपुर (छ.ग.) पिन नं. 429008	अ.पि.व.	18/08/1990	951	30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव
15.	तारणी सिन्हा	महेश कुमार सिन्हा	द्वारा माधुरी सिन्हा, क्वाटर नं. टाईप-II/4, सी.एम.पी. एफ. कॉलोनी, राजकिशोर नगर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन नं. 495006	अ.पि.व.	14/04/1990	1006	31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड
16.	प्रभा साहू	डी.सी. साहू	बांकी सिंचाई कॉलोनी, फुन्दुर बिहारी म.नं. एच/4 अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	अ.पि.व.	27/07/1994	1099	34	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्र.-01 अंबिकापुर
17.	बिजेन्द्र कुमार	गसपती सतनामी	द्वारा सनेष कुमार, ग्राम-गिद्धा, पो. सेमरा, तह. नवागढ़, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) पिन नं. 495668	अ.जा.	15/09/1992	1060	39	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा
18.	तामेष कुमार	यशवंत लाल डहरे	वार्ड नं. 19, जोता रोड, पुरानी बस्ती, पो. नेवरा, तह.-तिल्दा, जिला-रायपुर (छ.ग.) पिन नं. 493114	अ.जा.	13/08/1994	1065	40	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव
19.	चन्द्रप्रभा नारंग	देव कुमार नारंग	म.नं. 89, मंदिर पारा, ग्राम-बेल्दुकरी, पो. बेलदार सिक्नी, थाना-खरोरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	अ.जा.	16/02/1993	4947	26	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल
20.	रूपेश कुमार वर्मा	आनंद कुमार वर्मा	ग्राम-गनियारी, तह. तिल्दा, पो. व. जिला-रायपुर (छ.ग.) पिन नं. 493225	भूतपूर्व सैनिक अ.पि.व.	24/02/1981	18117	14	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग, क्र.-03 तिल्दा

- 2/- चयन के पश्चात् 06 माह के प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जायेगी।
- 3/- किसी भी समय एक माह के पूर्व सूचना नियुक्तकर्ता को देकर या नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को देकर छत्तीसगढ़ सेवा (अस्थाई तथा अर्धस्थाई) नियम 60 के उपनियम 12 के अंतर्गत सेवा समाप्त की जा सकती है तथा एक माह की सूचना दिये बिना यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक माह का वेतन तथा भत्ता या ऐसी अवधि का वेतन जो एक माह की सूचना अवधि से कम न हो देना होगा।
- 4/- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी अथवा कोई तथ्य भविष्य में असत्य पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जाएगा।
- 5/- अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड से शारीरिक स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 6/- पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, स्थाई जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नियुक्ति होने पर अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग की उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 7/- चयनित अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तत्काल प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 8/- पुलिस अधीक्षक से प्राप्त चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र में विपरीत टीप/अपराधिक गतिविधिया पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेगी।
- 9/- वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 980/सी-761/वि/नि/चार/4 दिनांक 27.02.2004 के अनुसार नियुक्त अभ्यर्थी के लिए नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू होगी।
- 10/- अभ्यर्थी को पदस्थापना कार्यालय में नियुक्ति आदेश के 30 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
- 11/- कार्यग्रहण करने के तुरंत पश्चात् अभ्यर्थी को अस्थाई घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा।
- 12/- किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं दसवीं के अंक सूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो या जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 13/- उपरोक्त अमीनों के लिए इस नियुक्ति आदेश के दिनांक से दो वर्ष की अवधि परीविक्षा अवधि होगी।
- 14/- कार्यग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 15/- अमीन के पद पर वरिष्ठता विभागीय चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन सूची के अनुसार होगी।
- 16/- आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण-पत्र यदि गलत पाये गये तो संबंधित उम्मीदवार, बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किए जाने का उत्तरदायी होगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी की जा सकेगी। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से स्थाई जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवे अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण/रोस्टर संधारित करने संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है।

आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का ज्ञापन क्रमांक 13-14/09/आ.प्र./1/3 दिनांक 29.11.2012 में दिये गये निर्देशानुसार अजा वर्ग के लिए 12 प्रतिशत, अजजा 32 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत रखा गया है तथा यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होगी।

(एच.आर. कुटारे)  
 प्रमुख अभियंता  
 जल संसाधन विभाग  
 छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन, आयाकट, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
4. मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
5. मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर।
6. मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर।
7. मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अम्बिकापुर।
8. अधीक्षण अभियंता, .....
9. जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, ..... छ.ग.।
10. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया विभागीय वेबसाईट में अपलोड करें एवं समस्त अभ्यर्थियों को उनके ई-मेल पर ऑनलाईन सूचित करें।
11. कार्यपालन अभियंता,.....कृपया अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि संबंधी एवं अन्य मूल प्रमाण-पत्रों की जांच के पश्चात् ही उपस्थिति मान्य की जावे।
12. संबंधित अभ्यर्थी (पंजीकृत डाक से) .....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(एच.आर. कुटारे)  
प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग  
छत्तीसगढ़, रायपुर